भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1367

उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

सोमवार, 6 श्रावण, 1947 (शक)

कौशल विकास के माध्यम से स्टार्टअप का समर्थन

1367. श्रीमती मालविका देवी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की आवश्यकताओं के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्दि हो सके;

(ख) सरकार विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों को किस प्रकार समर्थन देने की योजना बना रही है और सरकार की इन ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमीता को बढ़ावा देने की क्या योजना है; और

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने नए स्टार्टअप शुरु किए गए हैं और इनमें से कितने स्टार्टअप्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षु संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम कौशल, पुनः-कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान किए जाने वाले कौशल वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप हों तथा इससे युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार हो, एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं मानक स्थापित करता है।

(ii) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ जोड़ें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

(iii) संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं जिनका कार्य संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करना और कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करना है। एनएसडीसी, बाज़ार-आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत, उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग जगत की माँग के साथ सहयोग और कौशल पाठ्यक्रमों को संरेखित करते हैं।

(iv) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(v) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, नए युग/भविष्य के कौशल वाली जॉब-रोलस को आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के साथ विशेष रूप से संरेखित किया गया है।

(vi) डीजीटी ने 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीटीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में नए युग/भविष्य कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(vii) डीजीटी ने सीएसआर पहलों के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने हेतु आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियाँ आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान को सुगम बनाती हैं।

(viii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण से युक्त उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल का एक पूल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ix) एमएसडीई के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, रेडहैट, पियर्सन वीयूई, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), सिस्को नेटवर्किंग अकादमी जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है।

(x) एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) नामक एक एकीकृत मंच शुरू किया है जो कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम को एकीकृत करता है ताकि विभिन्न हितधारकों को लक्षित करते हुए जीवन भर सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान की जा सके। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए सिद्ध पोर्टल पर

उपलब्ध है। सिद्ध के माध्यम से, उम्मीदवार नौकरियों और शिक्षुता के अवसरों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

(xi) इसके अलावा, प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का आयोजन किया गया है।

(ख) एवं (ग): भारत सरकार ने उद्यमशीलता शिक्षा, प्रशिक्षण, वकालत और उद्यमशीलता नेटवर्क तक आसान पहुँच के माध्यम से एक अधिक समावेशी उद्यमशीलता इकोसिस्टम बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। भारत सरकार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है, जैसे प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम; सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम; पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना; नवाचार प्रोत्साहन योजना; ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता स्टार्टअप इंडिया; स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम; प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण; प्रौद्योगिकी ऊष्मायन एवं उद्यमी विकास योजना; आदि।

सरकार ने नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने तथा देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु एक मज़बूत इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से दिनांक 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफ़एफ़एस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफ़एस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी प्रमुख योजनाएँ, स्टार्टअप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, कुल 1,80,683 संस्थाओं (दिनांक 30 जून 2025 तक) को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें से 34,294 संस्थाओं को 2024 में स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई।

एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा और भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र और आकांक्षी जिलों जैसे विशेष क्षेत्रों सहित पूरे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करता है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के सहयोग से, फरवरी 2025 में उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिज़ोरम और उत्तर प्रदेश व तेलंगाना में महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम - स्वावलंबिनी - की शुरुआत की । इस कार्यक्रम का उद्देश्य निस्बड, नोएडा और आईआईई, गुवाहाटी के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले ईएपी और ईडीपी के माध्यम से छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है।

*****